

फर्द अहकाम

(नियम - 26)

उप खण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना
 नामा : प्राण प्रसाद बनवारी नुन कानाराम 2016
 6-08 वर्ष

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जम् 2016/0323

नम्बर व
 तारीख
 अहकाम जो
 इस हुकम
 की तामील
 में जारी हुए

रिपोर्ट सारिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से श्री जगदीश चौधरी एडवोकेट
 एडवोकेट हाजिर। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर किया जावे।

प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है, तथा प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दु पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमियों को खुर्द खुर्द व हस्तान्तरण करने तथा रहन के लिए आमादा हो रहे हैं। प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण आगामी पेशी दिनांक..... तक विवाद ग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 220

221, 222, 223, 224, 225, 226 227 229 कुल मिला

9 कुल रकम 6.49 हे

अवस्थित ग्राम डेहरा खसियास तहसील नीमकाथाना
 जिला सीकर को देवाना नारु रे रिफाई डि यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस की तामील को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतियां रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करें। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम 3(क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें। अन्यथा अन्तरिम आदेश को आयन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की गई है, में परिवर्तन की दशा में संशोधन/वैकट कर दी जायेगी। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस मय आदेश तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 23/12/16 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
 नीम का थाना (सीकर)



FORM No. III (प्रारूप संख्या-3)
फर्द अहकाम
 (नियम 26)

क्रम अंक..... मुकाम..... वर्ष.....
 नाम.....
 नंबर.....

नंबर व तारीख अहकाम
 जो इस दुकम की
 तारीख में जारी हुए

क्रम	वृत्त	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर
2/2	पत्रावली पेश हुई। अभिभावक सच में आज भद्रवली केपु की हल कर रखे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 19/4/2022 को पेश हो।		
19/4/2022	पत्रावली पेश हुई। एकुलाय उपज समन तहकाल आदेशादि. 1, 5, 6 के राजि पत्रावली वाले आग्रमन्त उपले पेश करे। पत्रावली वाले तारीख व जवाब दिनांक 21/6/2022 को पेश हो।		
21/6/2022	पत्रावली पेश हुई। एकुलाय उपज समन तहकाल आदेशादि. 1, 5, 6 के राजि पत्रावली वाले आग्रमन्त उपले पेश करे। पत्रावली वाले तारीख व जवाब दिनांक 21/6/2022 को पेश हो।		
17/8/2022	पत्रावली पेश हुई। एकुलाय उपज समन तहकाल आदेशादि. 1, 5, 6 के राजि पत्रावली वाले आग्रमन्त उपले पेश करे। पत्रावली वाले तारीख व जवाब दिनांक 17/8/2022 को पेश हो।		
11/2/2022	पत्रावली पेश हुई। अभिभावक सच में आज भद्रवली केपु की हल कर रखे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 11/2/2022 को पेश हो।		

05/11/22
 पत्रावली पेश हुई। अभिभावक सच में आज भद्रवली केपु की हल कर रखे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 05/11/22 को पेश हो।

16/12/23 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सच
आज अदालती कार्य का स्थान कर
रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 12/12/23 को पेश हो

12/15 पत्रावली पेश हुई। मंत्रालयिक कर्मचारी
सामुहिक अवकाश पर होने के कारण
पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 12/1/23
नियत की जाती है

12/17/23 पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित।
P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्त है।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 5/10/23
को पेश हो


14/10/23 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सच
आज अदालती कार्य का स्थान कर
रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 2/11/23 को पेश हो

21/11/23

पत्रावली पेश हुनी। वकुलाप उपस्थित। P.O. साहब
दीगर कार्य में व्यस्त है पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 5/12/24 को पेश हो

5/12/24

पत्रावली पेश हुनी। प्राची व वकील प्राची
उपस्थित। बार-बार अवाज लगावामी हुनी।
अवाज लगवाने के उपरान्त भी प्राची की आंख
से कोई उपस्थित नहीं आया। अतः प्राची का
प्राचीन पत्र आर्चाई विवेचना अंततः हाजरी 3/5/24
पत्र में प्राचीन मिला जाता है पत्रावली पूर्व
शुभा होर नम्बर ले कम होर दफ्तर दाखिल
हो


(राजवीर सिंह यादव)
सहायक अधिकारी
संयोजकस्थाना (राज.)